

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

प्रश्न सं. [क. 1843]

[ 25/7/2017 ]

(5)

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुजात्कल्याण विभाग

मंत्रालय

कमांक एफ 4-25/2008/1/25,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

8/4/2008

आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
भौपाल म०प्र०८।

**विषय:-** गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्याता एवं शिक्षकों का उपर्युक्तकरण।

गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के संबंध में विभागीय जिर्णव लिया गया है कि कोई भी व्याख्याता/शिक्षक, शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त न तो कहीं संलग्न रहेंगे और न ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी व्याख्याता/शिक्षक अन्य स्थान, विभाग में, अथवा अन्य दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं उन सब की संवायें 01 अप्रैल 2008 से हटाकर उन्हें शैक्षणिक कार्य में लगाया जाये।

प्राज्ञार्थों को छोड़कर कोई भी व्याख्याता अथवा शिक्षक अन्य कहीं भी शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करता पाया गया तो संबंधित नियंत्रणात्तरा अधिकारी की जबाबदेही होगी।  
उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ज०एन०कासोटिया)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुजात्कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 8/4/2008

पृ० कमांक एफ 4-25/2008/1/25,  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म०प्र०शासन आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, अनुरूपित जाति विकास/संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान/आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें म०प्र०भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. सभारीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुजात्कल्याण जाति कल्याण विभाग भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/वालियर/रीवा/उज्जैन/सागर।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश।
10. क्षेत्रीय मंजुलता राधव व्याख्याता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्यप्रदेश।
11. अर्डर बुक/रथापना की ओर रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुजात्कल्याण विभाग